न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 241 / 2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. दिनेश पुत्र स्व. गेनाराम 2. कुशालाराम पुत्र स्व. गेनाराम 3. मालाराम पुत्र स्व. गेनाराम 4. धापली पत्नी स्व. गेनाराम 5. रघुवीर पुत्र स्व0 गुलाबसिंह 6. बंशीलाल पुत्र स्व0 गुलाबसिंह 7. रामसिंह स्व0 गुलाबसिंह 8. पप्पूराम स्व0 गुलाबसिंह 9. जगदीशसिंह पुत्र बालूराम 10. पोकरसिंह पुत्र बालूसिंह निवासी– ग्राम गंगाणी तहसील बावडी जिला जोधपुर।		1. चुतरााराम पुत्र छगनाराम 2. दीपाराम पुत्र नरसिंहराम निवासी–ग्राम गंगाणी तहसील बावडी जिला जोधपुर। 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावडी, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 19.06.2012 जो राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 75 / 2009 अनवान चुतराराम वगैरा बनाम राज्य में उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री सुगनमल परिहार, श्री प्रेमकुमार विश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः दिसम्बर, 2021

1. अपीलार्थीया ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.06.2012 जो राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 75 / 2009 अनवान चुतराराम वगैरा बनाम राज्य में पारित किये गये है, के विरूद्व यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.11.2021 को प्रस्तुत की गई है। जिसे दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट अधिवक्तागण को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक

व दो के द्वारा धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 1006, 1019, 1020 व 1021 कुल रकबा 41 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम गंगाणी में स्थित है जो वक्त सेटलमेन्ट से गुणेश वल्द आसू, लच्छा वल्द गुला, छगना, नरसिंह वल्द पूना की खातेदारी कब्जे काश्त की रही है। जिसमें उनके पिता का 1/2 हिस्सा है तथा लच्छा वल्द गुला का 1/4 हिस्सा, गुणेश वल्द आसू का 1/4 हिस्सा है। सम्वत 2060 से 2063 की जमाबन्दी तैयार करते समय हल्का पटवारी ने जमाबन्दी के कॉलम संख्या 4 में काश्तकार खातेदार के नाम के आगे हिस्सा नहीं दर्शाया है क्यों वक्त सेटलमेन्ट से भूमि के हिस्से खूले हुए नहीं है। हल्का पटवारी ने नामा0 संख्या 2108 खोलते समय खातेदार गेनाराम के इशारे पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर 1/6, 1/6, 1/3 व 1/3 हिस्सा त्रुटिवश सहवन से अंकित कर दिये गये जो अब पुनः दुरूस्ती किया जावे। अतः हल्का पटवारी से गलती से दर्ज कर दिया जो अब दुरूस्त किया जाकर सम्वत 2060–63 के कॉलम संख्या 4 में अंकित खातेदार के नाम अनुसार ही दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए रेकर्ड दुरूस्ती करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि उक्त विवादग्रस्त भूमि की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2021 से 2030 में गणेश वल्द आसू, लच्छा वल्द गुला का 1/3 हिस्सा व छगना व नरसिंह पिसरान पूनाराम का 1/3 हिस्सा था। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है जबकि इस प्रकार के मामले में धारा 136 के तहत कोई आदेश दिया जा सकता था क्योंकि राजस्व रेकर्ड में कोई त्रुटिपूर्ण इन्द्राज थे ही नहीं। अपीलाधीन आदेश में खसरा संख्या 1006, 1019, 1020 व 1021 कुल रकबा 41 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम गंगाणी के खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2021 से 2030 में गणेश वल्द आसू, लच्छा वल्द गुला का 1/3 हिस्सा व छगना व नरसिंह पिसरान पूनाराम का 1/3 हिस्सा था। जिसमें कोई त्रुटि आगे के वर्षो में नहीं की गई। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो ने भ्रमित करने वाला प्रार्थना पत्र पेश किया एवं

इस पर बिना कोई जांच किये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योगय है।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जिस नामा0 संख्या 2208 का उल्लेख किया है वह वर्तमान अपीलार्थीगण के हिस्से से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। खतौदी बन्दबस्त में दर्ज छगना व नरसिंह पिसरान पूनाराम का 1/3 हिस्सा था जो उनके बारिसान के नाम दर्ज हुआ है। इसके आधार पर किसी भी सूरत में अपीलान्टगण के हिस्से को घटाया या बढाया नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष हम अपीलार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही उन्हें सुनवाई का नोटिस दिया गया, इस प्रकार अपीलान्टस को बिना सुने उनके हितों के विरूद्ध कोई आदेश नहीं दिया जा सकता था एवं अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं था। उक्त विवादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से के सहखातेदार गणेश वल्द आसू के वारिसान तथा 1/3 हिस्से के सहखातेदार लच्छा वल्द गुला के वारिसान अपने–अपने हिस्सों पर शांतिपूर्वक काबिज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड व मौके की पूर्ण जॉच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

5. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का बिल्कुल ही गलत अर्थ निकाला है। धारा 136 के प्रावधानों के तहत किसी भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज किसी भी खातेदार/सहखातेदार का दर्ज हिस्सा न तो घटाया जा सकता है और न बढाया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त भूमि के खतौदी बन्दोंबस्त के इन्द्राजों का बिल्कूल गलत अर्थ निकाला है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त किये जाने का आदेश पारित कर दिया। इस कार्यवाही बाबत अपीलान्टगण को कोई सूचना नहीं दी गई और न ही उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिया गया और एकतरफा आदेश पारित कर दिया। ऐसे में वह अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार है जिसके द्वारा यह अपील पेश की गई है। अतः उपरोक्त समस्त आधारों पर अपीलान्टगण की अपील को स्वीकार किया जावे एवं

उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2012 को निरस्त किया जाकर किये जाने की कार्यवाही को निरस्त किया जावे।

6. हमने अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि अपीलाधीन आदेश में खसरा संख्या 1006, 1019, 1020 व 1021 कुल रकबा 41 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम गंगाणी के सहखातेदार गुणेश वल्द आसू, लच्छा वल्द गुला, छगना, नरसिंह वल्द पूना की खातेदारी कब्जे काश्त की रही है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के तहत प्रस्तुत रेकर्ड दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने से पूर्व विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज अन्य सहखातेदार यानि अपीलान्टगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये ही राजस्व रेकर्ड में उनके प्रार्थना पत्र अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती करने के आदेश पारित किये है।

7. हमारी विनम्र राय में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किसी खातेदार/सहखातेदार /पक्षकार की भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का रेकर्ड दुरूस्ती/संशोधन किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उन सभी की मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत एवं काननून आवश्यक होता है। इस स्थिति में उपरोक्त सभी आब्जर्वेशनों पर मनन करने के उपरान्त वादग्रस्त खसरान भूमि के सभी प्रभावित पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करने तथा उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात तथा अपील में आब्जर्वेशनों के दृष्टिगत उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा कि तत्पश्चात अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करे।

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ को उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में उल्लेखित रकबा भूमि के सभी सह

खातेदारान/पक्षकारान को अपना–2 पक्ष/साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता होती हो तो नये सिरे से 01 माह की अवधि में पुनः यथोचित आदेश पारित करें। साथ ही रिमाण्ड प्रकरण में अन्तिम निर्णय होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। निर्णय आज दिनांक दिसम्बर, .2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर